

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 156/2024

उपनाम

1. कंकू देवी पत्नी श्री नारायण लाल रेगर नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गा लाल पुत्र रामचन्द्र बलाई नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. नारायण लाल पुत्र श्री रामलाल रेगर नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. पन्ना लाल पुत्र श्री लक्ष्मण लाल सुंकरिया रेगर नि० पुर तह० हमीरगढ जिला जिला भीलवाडा(राज.)
4. संतोष देवी पत्नी श्री छीतरमल रेगर नि० विलियाखुर्द तह एवं जिला भीलवाडा(राज.)
5. केशी पत्नी रच० श्री रामचन्द्र बलाई नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. भोनी पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. रतनी पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि० देवली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 02-01-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21-11-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम देवली प०ह० देवली भू०अ०नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 602 की आ.न. 539 रकबा 0.4299 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से 05 व 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 6 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 6 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम देवली प०ह० देवली भू०अ०नि० बरडोद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता संख्या 602 की आ.न. 539 रकबा 0.4299 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क

400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर रहे।

(मेहन छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ